

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई 2015

पत्र संख्या-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 /श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, खगड़िया को अपने शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2015 से 29.06.2015 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं विवाहोपरांत विदेश (यूरोप) भ्रमण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार, भा0पु0से0 (2012) के अवकाश अवधि में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खगड़िया अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, खगड़िया के प्रभार में रहेंगे।

3. विभागीय अधिसूचना सं0-3237, दिनांक 12.05.2015 को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2015  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2015  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2015 गृ0आ0 3256 /पटना, दिनांक 13 मई, 2015  
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, खगड़िया/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खगड़िया/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।